कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

श्रीमती लता शक्तावत, व्याख्याता–हिन्दी, राबाउमावि, अकलेरा, झालावाड़ ने स्थानान्तरण हेतु माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या–5078/2021 लता शक्तावत बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की है। उक्त अपील में माननीय अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक–01.11.2021 में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग प्रस्तुत अभ्यावेदन को विधि एवं नियमानुसार निस्तारित करते हुए एक समुचित आख्यात्मक (Speaking) आदेश प्रसारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने के निर्देश प्रदान किये हैं।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं की पुत्री Locomotary Cerbral Pulsy बीमारी से पीड़ित होने के कारण उसके ईलाज हेतु जयपुर के नजदीक या जयपुर मे ही पदस्थापन करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों का परीक्षण व मनन किया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में किसी भी राउमावि /राबाउमावि में पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानांतरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के किये गये पदस्थापन में सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाए जाने के आधार पर एतदद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई ए एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./लता शक्तावत/5078/2021/18 दिनांक– 31/01/22

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, झालावाड़
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु
8. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पंजिका

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर